पंचायत स्तरीय प्रबंधन

(नोवेल कोरोना वायरस रोकथाम एवं नियंत्रण)

सम्पूर्ण विश्व के साथ भारत में भी नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है जिसको रोकने के लिये स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों पर दायित्व तय किये गये है कि पंचायत अपने क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करे। इस अभियान में ग्राम पचायते स्थानीय शासन के रूप में कार्य करके अपनी पंचायत के हर वर्ग को सुरक्षित कर सकते है। पंचायत स्तरीय प्रबंधन एवं भूमिका इस प्रकार हो सकती है।

पंचायत स्तरीय समिति का गठन :

ग्राम पंचायत की स्थानीय समितिया, कार्यक्रम / योजनाओं के अन्तर्गत तदर्थ समितियां तथा समुदाय आधारित संगठनों का भी ग्राम पंचायत में गठन किया गया होता है परन्तु इस आपातकाल में प्रबंधन एवं निगरानी के दायित्व निर्धारित किया जाना जरूरी है, जिसके निम्न तरिके हो सकते है :–

- पूर्व से गठित/कार्यरत समिति स्वयं जिम्मेदारी ले सकती है।
- सक्रिय व्यक्तियों (युवक, एसएचजी, वार्ड पंच, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानीन, आ0बा0 कार्यकर्ता, अन्य) की अस्थायी समिति का गठन किया जा सकता है। इस समिति द्वारा पंचायत के साथ कार्य किये जा सकेंगे ताकि पंचायत को रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यो में सहयोग प्राप्त हो सके।

समिति के कार्य

- पंचायत स्तरीय प्रबंधन, क्रियान्वयन एवं निगरानी के कार्य।
- सामाजिक दूरियां सुनिश्चित करना।
- सम्भावित व्यक्तियों के इलाज, अलग–अलग रखने एवं देखभाल की निगरानी।
- शासकीय घोषणायें, सहयोग एवं जानकारी को गांव के हर वर्ग तक पहुंचाना।
- खाद्य सामग्री का आबंटन एवं जरूरतमंदों को बीच सही वितरण हो, जिसकी निगरानी करना।
- रोकथाम एवं नियंत्रण के कार्यो को लागू करना।

नोवेल कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये प्रमुख कार्य

- राज्य के बाहार से आये व्यक्तियों की निगरानी एवं उनको अलग रखना : यह सम्भावनाये बतायी जा रही है कि दूसरे राज्यों से मजदूरी/नौकरी/व्यवसाय करने गये व्यक्तियों के कारण गांव में संक्रमण हो सकता है, जिसके बचाव के लिये निम्न कार्यो को प्राथमिकता से किया जाना जरूरी होगा।
  - शासकीय स्कूलों को निगरानी कक्ष/गेस्ट रूम के रूप में विकसित करना :
    - व्यक्तियों की संख्या के आधार पर स्कूल के कक्षों का उपयोग किया जा सकता है। एक कक्ष में एक ही व्यक्ति को रखा जाये परन्तु व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होने पर 1 कक्ष में 2 या 3 व्यक्ति रखे जा सकते है।।
    - इन व्यक्तियों के बिस्तर की दूरी, 2 मीटर से अधिक हो। व्यक्तियों के साबुन, तौलियां, खाने के बर्तन, आदि सामग्री अलग अलग हो ताकि एक – दूसरे से संक्रमित न हो। (एक ही कक्ष में 10 से 12 व्यक्तियों को रखने से एक व्यक्ति के कारण अन्य व्यक्ति भी संक्रमित

हो सकते है।) कक्ष के आकार के अनुसार भी व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की जा सकती है।

- ग्राम पंचायत के स्कूलों में कक्षों की संख्या कम होने पर टेण्ट की सुविधा की जा सकती है।
- अलग अलग रहने वाले व्यक्तियों को पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना ताकि रोगप्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़े।
- निगरानी में अलग से रहने वाले व्यक्तियों के लिये बिस्तर, भोजन, आदि की व्यवस्था पंचायत अपने मद से कर सकती है। इसके आदेश भी कलेक्टरों द्वारा जारी किये जा रहे है। (कलेक्टर कांकेर से जारी किये गये है)
- अलग अलग रहने वाले व्यक्तियों को शौचालय, साबुन से हाथ धोने हेतु साबुन व पानी की व्यवस्था तथा परिसर की स्वच्छता जरूरी है। शौचालय की कमी होने पर अस्थायी शौचालय निर्माण किये जा सकते है।
- अलग अलग रहने वाले व्यक्तियों की निगरानी, जॉच करना तथा उनको स्वच्छता की जानकारी प्रदाय करना जरूरी है। यह कार्य समिति के द्वारा किये जा सकते है।

- ऐसे व्यक्ति जो राज्य के बाहर से आये है परन्तु कुछ दिन से परिवार के साथ रहना शुरू किया है। उनके परिवार को उनके ही घर में निगरानी किया जायेगा कि इस परिवार के कोई भी सदस्य 14 दिन तक बाहर नही आये, किसी के सम्पर्क में नही आये। इस परिवार के पानी, अनाज, अन्य सुविधाओं की जरूरत पंचायत स्तरीय समिति के माध्यम से की जायेगी। इस परिवार के कारण भी गांव में संक्रमण की संभावना हो सकती है।
- परिवार में व्यक्ति को अलग रखना : गांव में कोई ऐसा परिवार है जिनका घर बड़ा है। 1 कमरे में प्रभावित / संदिग्ध व्यक्ति को रखा जा सकता है परन्तु पूर्ण सावधानी के साथ उस व्यक्ति को खाना, अन्य सामग्री दी जाये।

- **गांव में दैनिक आवागमन** : ग्राम पंचायत स्तर पर एक रजिस्टर तैयार किया जाये जिसमें गांव के बाहर से आ रहे व्यक्तियों तथा गांव के बाहर जा रहे व्यक्त्यिों के नाम लिखे जायेंगे ताकि निगरानी में सुविधा हो। इस व्यवस्था से संदिग्ध व्यक्ति की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देने में आसानी हो सकती है।
- ग्राम पंचायत सुविधा के अनुसार अपने नियम बना सकते है। जैसे कि पानी भरने का समय, बाजार से सब्जी लेने का समय, दूकान खुलने का समय, गांव के बाहर आने–जाने का समय आदि।
- अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति घर के बाहर नही निकले, इसकी निगरानी की जा सकती है। दण्ड के प्रावधान भी किये जा सकते है।
- सामुदायिक पेयजल स्त्रोतो की स्वच्छता : गावों में एक हैण्डपम्प से 10 से 15 परिवार पानी भरते है। इसलिये, इन **सामुदायिक हैण्डपम्प स्थलों को स्वच्छ रखने,** हैण्डपम्प से पानी प्राप्त करने के पूर्व साबुन से हाथ धोने के लिये पानी व साबुन, हैण्ड पम्प पर पानी भरने के लिये आये व्यक्तियों के बीच अन्तर सुनिश्चित करने की व्यवस्था करना। हैण्डम्प के पास स्वच्छता एवं सामाजिक दूरियां सुनिश्चित करने के लिये दीवार पर जागरूकता संदेश लिखे जा सकते है।
- दूकानों से सामग्री क्रय करने आ रहे लोगो के बीच दूरिया सुनिश्चित करने, दूकानों से सामग्री लेने तथा पैसे देने के पूर्व साबुन से हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित की जा सकती है।

भोजन एवं अन्य सहायक सामग्री का प्रबंधन :

लॉक डाउन की स्थिति में रोजगार बंद है। ऐसी स्थिति में दैनिक मजदूरी करके जीवनयापन करने वाले परिवार ज्यादा प्रभावित हो सकते है। गांव में अनाज की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायत को पूर्व से आदेश प्रदाय किये गये है कि ग्राम पंचायत में राशन की व्यवस्था रखे ताकि ग्राम पंचायत में कोई व्यक्ति भूखा नही रहे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ कलेक्टरों द्वारा भी आदेश जारी किये गये है कि ग्राम पंचायत में चावल, दाल आदि की व्यवस्था रखे। परन्तु इस ग्राम पंचायत स्तरीय राशन की व्यवस्था को जरूरतमंद परिवारों तक पुहंचाना समिति के प्राथमिक कार्य होंगे। जिसके लिये समुदाय स्तर पर निम्न प्रयास किये जा सकते है :–

- जरूरतमंद परिवारों की सूची निर्माण करना जिनको प्राथमिकता से राशन, किराना सामान, दवाई आदि की जरूरत है।
- दाल–चावल के साथ साथ नमक, हल्दी, साबुन, तेल, शक्कर, आदि दैनिक सामग्री जरूरी है परन्तु गांव के दूकान छोटे है। इन दूकानों का स्टॉक 10 से 12 दिन में ही खत्म हो जायेगा। ऐसी स्थिति में बाहर से सप्लाई की व्यवस्था करनी होगी।
- गांव के प्रत्येक गरीब, कमजोर, मजदूर, परिवारों के लिये दैनिक आवश्यक सामग्री का आंकलन किया जाये तथा अनुमान लगाया जाये कि कितनी सामग्री आवश्यक है, इस अनुसार सामग्री आवंटन की व्यवस्था समिति के माध्यम से की जा सकती है। सामग्री की व्यवस्था के लिये समिति विकासखण्ड, जिला स्तरीय बड़े स्टोर, शासकीय नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क कर सकेगी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक **'वस्तू कोष'** बनाया जा सकता है। इस वस्तू कोष में ग्राम पंचायत, सम्पन्न परिवारों या शासकीय सहयोग से प्राप्त हुई वस्तूओं (राशन, किराना, सब्जी) को स्टोर किया जायेगा तथा आवश्यकता के अनुसार जरूरतमंदों में वितरण होगा। इस **वस्तू कोष में वस्तू विनिमय की व्यवस्था** है। जिसमें जो ज्यादा वस्तू है उसको जमा करेंगे तथा जो आवश्यक है वह लेकर जायेंगे, जैसे कि कोई लौकी जमा करके प्याज लेके जा सकते है आदि। इस वस्तू कोष से गांव में राशन की समस्या को दूर किया जा सकता है। जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता से सामग्री उपलब्ध करायी जा सकती है।
- मध्यान्ह भोजन, पुरक पोषण आहार आदि राशन को प्रत्येक हितग्राही तक पहुंचे, जिसकी निगरानी करने के दायित्व समिति के है।
- ऐसे व्यक्ति जो पूर्व से बीमार है और नियमित दवाई की जरूरत होती है, उन व्यक्तियों की पहचान करना, आवश्यकता के अनुसार इलाज या आवश्यकता के अनुरूप दवाई पहुंचाना।
- परिवार स्तर पर गंदे पानी के उपयोग से किचन गार्डन का विकास करना ताकि घर पर ही प्याज के पत्ते, धनिया, पालक, आदि सब्जी प्राप्त कर सके।

व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता

- प्रत्येक व्यक्ति घर में प्रवेश करने के पूर्व साबुन से हाथ जरूर धोये।
- घर का प्रत्येक व्यक्ति भोजन लेने के पूर्व, भोजन के पूर्व, पीने का पानी लेने के पूर्व, बच्चों को खाना देने के पूर्व, खाना तैयार करने के पूर्व, बच्चों को दुध पिलाने के पूर्व तथा शौचालय के बाद साबुन से सही तरीके से हाथ धोये।
- घर में पानी जमीन के उपर सूखे जगह पर रखे, पानी ढककर रखे, पानी लेने के लिये डण्डी के लोटे का उपयोग करे। पानी रखने के लिये नल की टोटी वाला ड्रम भी उपयोग किया जा सकता है।

- गांव में शौचालयों का उपयोग हो तथा कोई व्यक्ति खुले में शौच नही करे क्योंकि संक्रमण की संभावनाये बढ़ सकती है। इसकी निगरानी के दायित्व स्वच्छता समिति को दिये जा सकते है।
- यदि व्यक्ति दिन भर बाहर रहता है तो स्नान करने के बाद ही घर में प्रवेश करे।
- सार्वजनिक जल स्त्रोतों के आस–पास, सार्वजनिक स्थलों एवं दूकानों की स्वच्छता बनाये रखने हेतु जागरूकता निर्माण करना।